RAJYA SABHA

Thursday, the 22nd February, 2001/3 *Phalguna,* 1922 *(Saka)*

The House met at eleven of the Clock, Mr. Chairman *in the Chair*.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Visit to drought affected areas of Rajasthan

*21. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any Central team had visited Rajasthani drought affected districts for the last three consecutive years to assess the gravity of the problem to provide Central relief;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the nature and quantum of the Central assistance provided to Rajasthan to meet the situation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) During 1998-99, 1999-2000 and 2000-01, Inter-Ministerial Central Teams visited the areas affected by drought in Rajasthan for on the spot assessment of the situation. Central share of Calamity Relief Fund (CRF) amounting to Rs. 148.92 crore for 1998-99, Rs. 155.25 crore each for 1999-2000 and 2000-01 were released to the State. Also, 25% of Central share of CRF for 2001-02 amounting to Rs. 40.75 crore has been released in advance to the State. In addition, assistance amounting to Rs. 21.98 crore during 1998-99 and Rs. 102.93 crore during 1999-2000 both from the National Fund for Calamity Relief (NFCR) and Rs. 85.00 crore during 2000-01 from the National Calamity Contingency Fund (NCCF) were released to the State.

Steps taken by the Government of India included allocation of foodgrains at Below Poverty Line (BPL) rates and free transportation

of water and fodder by the Railways to the drought affected areas. During 2000-01, in addition to these measures, 1 lakh MT foodgrains have been allocated free of cost under Food for Work Programme and "feed grade" foodgrains to be used as cattle feed in the drought affected areas has also been released free of cost.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Sir, this is the third successive year of famine in Rajasthan. Since August-September last year, there has practically been no rainfall. The Kharif crop has been completely destroyed. Thirty-one, out of the 32 districts, and about 30,000 villages have been affected as a result of famine. The loss of standing crop is worth over Rs. 3,500 crores, besides loss of animals. There is shortage of fodder for animals and foodgrains for human beings. There are problems in respect of drinking water also. A large number of people are migrating to the neighbouring States. This is the worst famine in the last 100 years. Due to lack of moisture in the soil, the sowing for the rabi crop too has been badly affected; as a result, there is likely to be a further loss of about Rs. 2,000 crores. The State Government is doing whatever it can, with its limited resources. It has asked for an assistance of Rs. 2,383 crores from the Centre. Some anount has been received by the State, as stated-by the hon. Minister. But this is not adequate. They have, somehow, to find some solution to the problems of Rajasthan, from a long-term point of view. Sir, my first supplementary consist of part (a) and part (b). A major part of Rajasthan is desert or *maru-bhumi,* as it is called. Unfortunately, famines occur repeatedly in Rajasthan. When there is a famine, short-term relief measures, such as sending foodgrains and fodder to the State, are adopted. This offers no solution. Sir, part (a)- of my question is this. Has the Centre, in co-ordination with the State, thought of organising, from a long-term point of view, projects, such as water-harvesting and water-conservation?

Secondly, if more industries come up in Rajasthan, that would provide employment to the people; thus, their dependence on agriculture will be reduced. There arc large reserves of lignite in the State. If it is exploited properly, it will provide employment to the people, improve the power situation in the State, which will automatically boost agricultural production. Part (b) of my question is

this. What steps the Government propose to take so that these rich reserves of lignite are properly exploited?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान में लगातार सूखे का प्रकोप चल रहा है। पिछले वर्ष भी सूखे से वह प्रदेश प्रभावित था और इस बार भी वह प्रभावित है। जो उन्होंने जिलों के संबंध में आंकड़े दिये हैं और हमारे पास भी जो राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी है, उसके हिसाब से राजस्थान के 31 जिले सूखे से प्रभावित हैं और कुल 30 हजार 583 गांव प्रभावित हुए हैं। इसके लिए केन्द्र का राज्य सरकार से निरंतर संपर्क बना हुआ है। जहां तक 11वें फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाओं के आलोक में जो कैलामिटी फंड की राशि 2000-2001 की थी जो केन्द्र का शेयर था, वह रिलीज़ किया जा चुका है। इसके अलावा 2001-2002 के लिए भी उनके लिए जो केन्द्र की राशि है, उसका भी एक हिस्सा राजस्थान सरकार के अनुरोध पर रिलीज़ किया गया है। इसके साथ-साथ जो नेशनल कैलामिटी कंटिनजैंसी फंड है, उसके द्वारा भी राजस्थान को तत्काल 85 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है। इसके अतिरिक्त एक लाख टन मुफ्त अनाज दिया गया है फूड फॉर वर्क कार्यक्रम चलाने के लिए ताकि लोगों का पलायन न हो और वहां लोगों को काम मिल सके। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने फीड ग्रेड जो ग्रेन्स हैं, उनको भी ऑफर किया है जितने भी सूखा प्रभावित राज्य हैं, उन सबमें। इसमें राजस्थान को भी ऑफर किया गया है एक लाख सत्तर हजार टन, वह भी मुफ्त देने के लिए। तो इस प्रकार से सरकार जो भी संभव कार्यवाही है, कर रही है। सेंटर की एक टीम भी विज़िट कर चुकी है और उसी टीम के आकलन के आधार पर एन.सी.सी.एफ.ने इसको एक बड़े किस्म की आपदा मानकर ही उसको अतिरिक्त सी.आर.एफ. से अलग यह सहायता प्रदान की है। इसके अलावा और भी जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, ऐक्सलेरेटेड वाटर स्कीम है, सब तरह से उसमें मदद दी जा रही है ड्रिंकिंग वाटर के लिए।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Sir, the hon. Minister has described what steps the Central Government was taking for the present. But my specific point is that the matter is to be handled from a long-term point of view. I had, therefore, asked in my (a) part of the question as to what the Centre was doing with regard to harvesting of water and its conservation. The (b) part of the question was, what the Government was doing, apart from a reply to the Stiite. Unfortunately, there is no reply from the hon. Minister on these two points.

श्री नीतीश कुमार: रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो सारी योजनाएं हैं, उनको वाटर शेड में भी पैसा दिया जा रहा है और जो फूड फॉर वर्क कार्यक्रम चलाएंगे, उसमें भी डीसिल्टिंग ऑफ

पॉन्ड, ये सारे काम हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा।

डॉ. महेश चन्द्र शर्मा: सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के अकाल पीड़ितों के लिए पर्याप्त सहायता दी, इसके लिए तो आभार लेकिन यह जो एक लाख मीट्रिक टन अनाज और पशुओं के लिए चारा मुफ्त देने की योजना है, एलोकेशन कब हुआ है और राजस्थान सरकार ने उसको उठाने के लिए क्या योजना की है, मंत्री जी बताएं।

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, पांच राज्यों में सूखे की भीषण स्थिति को देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो सूखे की स्थिति है, उस पर लगातार नज़र रखने के लिए ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था और उसने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि मुफ्त अनाज दिया जाना चाहिए फूड फॉर वर्क कार्यक्रम चलाने के लिए और इस सिलसिले में एक लाख टन अनाज दिया गया फूड फॉर वर्क के लिए और एक लाख सत्तर हजार टन फीड ग्रेड जो ग्रेन्स हैं, वह भी ऑफर किया गया लेकिन जहां तक हमने आज सुबह तक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, जो एफ.सी.आई. के स्रोतों से जानकारी मिली है, अब तक फीड ग्रेड फूड ग्रेन्स सिर्फ 31 टन उठ पाया है राजस्थान में, अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से और यह कोई भारतीय जन्तु कल्याण ट्रस्ट है, उसने इसको लिया है 31 टन को।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister has given details of the year-wise assistance given to the State Government, as the Central share of the Calamity Relief Fund, from the National Fund for Calamity Relief, for the year 1998-99, 1999-2000, 2000-01 and also the details of some advances. A team was sent to make an assesment over there. I would like to know from the hon. Minister, what the assessment of the team was and what recommendations they made to the Ministry in regard to the support which the affected areas require. In this connection, I would like to refer to the last sentence of paragraph 1 of his reply to questions (a) to (c). It is said, "during 2000-01, certain funds were released on the recommendations of the last Finance Commission." I would like to know when the NCCF became operational because the hon. Minister is saying that he is releasing funds for the year 2000-01. During the floods of Bengal, a question was raised as to why you were not releasing funds from the National Calamity Contingency Fund, and we were told that the fund was yet to be operational. But here in

the statement of the hon. Minister it is being stated that for the year 2000-01, a sum of Rs. 85 crores was released to the State from the NCCF. I would like to know from which date this fund became operational. In this connection, I would like to point out to the hon. Minister, as he himself has noticed being in the Government, that for quite some time under the present pattern of support to natural calamities, and where the shares of the Central Government and the State Governments are apportioned from the kitty, from the experience of most of the States, we find that they are spending this money even for calamities of lesser magnitude every year, as if it is a fund from the normal budgetary resource available to the State Governments. The whole intention for which this fund was created was that if a State faces a calamity of an extraordinary nature and magnitude, then some fund should readily be made available to them to meet the situation. In view of that, I would like to know whether the Central Government, particularly the hon. Minister, would prevail upon the State Governments to ensure,—as I understand it is a non-lapsable fund—that they do not spend this fund in a routine way. The fund should be utilised to meet any extraordinary situation. It requires a good deal of persuasion and some initiative should be taken by the Union Government to achieve that.

श्री नीतीश कुमार: सर, जहां तक एनसीसीएफ के आपरेशनलाइज होने की बात है तो यह स्कीम 15.12.2000 को हुई थी और एनसीसीएफ फंड के रिलीज के लिए मीटिंग जनवरी, 2001 में हुई थी। केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे बंगाल का फ्लड क्षेत्र है, सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रिलीज हुआ है। सैन्ट्रल टीम ने एसेसमेंट के लिए विजिट किया था क्योंकि सीआरएफ के नार्मल एलोकेशन से वहां सिचुएशन को मीट करने के लिए वह सक्षम नहीं है। रिलीफ में जो एक्सपेंडिचर होगा उसको ध्यान में रखकर एनसीसीएफ ने यह पैसा रिलीज किया और राजस्थान के लिए 85 करोड़ रिलीज़ किया था। जहां तक सीआरएफ के कैला मिटीज रिलीफ फंड के ऑपरेशन का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं 11 वें फाइनेंस कमीशन के रेक्मेंडेशन के आधार पर उन्होंने हर राज्य के लिए सीआरएफ बना दिया है। उसमें ¾ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है और ¼ उनको कंट्रीब्यूट करना है। 10वें फाइनेंस कमीशन के रेक्मेंडेशन के आधार पर साल में पहले क्वार्टरली रिलीज होता था। अब 11वें फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि आप साल में दो बार रिलीज़ करें और यह

भी कहा है कि इसके लिए अलग से एक एकाउन्ट होना चाहिए और उसका अलग हिसाब होना चाहिए। वह पैसा दूसरे काम में खर्च नहीं होना चाहिए। यह 11वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में है और इस रेक्मेंडेशन को सरकार ने स्वीकार किया और राज्यों से कहा है कि जब वे अलग फंड क्रिएट करके उसका एकाउन्ट कर देते हैं तब उनके यहां से पैसा रिलीज किया जाना चाहिए। जहां तक सीआरएफ का सवाल है कि उसमें कौन से एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हैं, इसके लिए आलरेडी गाइडलाइन्स बनी हुई हैं और फिर हर स्टेट स्पैसिफिक के लिए स्पैसिफिक गाइडलाइन्स बन रही हैं। यहां इस पर काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि जिस राज्य के लिए वह फाइनलाइज होगा उस राज्य के चीफ सैक्रेट्री को बुलाकर, उनके अधिकारियों के साथ बैठकर, कभी-कभी कोई स्टेट स्पैसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसको ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत भयानक स्थिति है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 31 जिलों यानी 32 में से 31 जिलों में सूखे की स्थिति व्याप्त हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसाकि अभी प्रणब बाबू ने भी पूछा था लेकिन उसका जवाब नहीं आया कि जो कमेटी गई थी उसकी रिक्मेंडेशन क्या थीं और राजस्थान सरकार ने इस सूखे से निपटने के लिए कितनी मदद की मांग केन्द्र सरकार से की थी? इन बातों का जवाब मिलना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने कितनी मांग की थी और जो समिति गई थी उसकी सिफारिशें क्या थीं?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, राज्य सरकार का जो डिटेल्ड मेमोरेंडम प्राप्त होता उसमें सब तरह के नुकसान का जिक्र होता है तथा कैलोमिटी मैनेजमेंट के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसे ध्यान में रखकर पैसे का आवंटन होता है। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जाती है जो लोस का एसेस्मेंट करती है। कुछ यहां से मीट होता है। फिर वे अपने प्लान में कई चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और उनकी सिफारिश की जाती है। आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने कितनी मांग की है, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 2000-2001 के लिए 2,367 करोड़ एवं 80 लाख रुपये और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रूप ने सारी चीजों को देखकर 123 करोड़ 97 लाख रुपये की रिकमेंडेशन की थी और एन.सी.सी.एफ. से 85 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। आप जानते हैं कि इलेवन्थ फ़ाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्मेंट से कहा था कि पांच सौ करोड़ रुपये डालकर एन.सी.एफ. शुरु कर दें। जब खर्च होगा तब सैंट्रल टैक्स पर सरचार्ज लगाकर भरपाई करेंगे तो यह इसी तरह का ऑपरेशन है लेकिन यह इस साल के लिए रिलीज है परंतु राजस्थान की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जब तक अगली बरसात नहीं देख लेते तब तक उन्हें इस प्रकार मदद की आवश्यकता होगी उनके लिए यह अंतिम मदद नहीं है इसके बाद भी जरुरत पड़ने पर उन्हें अंतिम मदद दी जाएगी।

श्री नरेन्द्र मोहनः सभापति महोदय, जो समस्या मंत्री जी ने बताई वह अपनी जगह है लेकिन एक बात यह भी है कि जो भी आवंटन केन्द्र द्वारा राजस्थान में किया गया वह पर्याप्त रुप में जनता तक नहीं पहुंचा। इसकी जानकारी समाचार पत्रों में आ चुकी है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है? मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम चालू किया गया। मंत्री जी ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे की दर पर खाद्यात्रों का आवंटन किया जा रहा है। सभापति जी, 32 जिलों में से 31 जिलों में भयंकर सूखा पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों, कितने परिवारों को यह खाद्यात्र बांटा गया है? कितने परिवारों को अन्य सहायता दी गई है? "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम से कितने लोग लाभिन्वित हुए हैं? राजस्थान सरकार क्या कर रही है? मैं यह सब जानना चाहता हूं और यह सारा विवरण सदन के सामने आना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, यह विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है लेकिन राजस्थान सरकार से इसकी जानकारी प्राप्त करके हम माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे देंगे।

श्री आर. पी. गोयनका: सभापति महोदय, जो आंकड़े यहां दिए गए हैं या मंत्री जी ने अपने जवाब में जो 85 करोड़, 102 करोड़ रुपये आदि के आंकड़े बोले, ये करोड़ों की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन जरुरी चीज तो यह है कि कितनी आवश्यकता थी और कितना इन्होंने दिया, कितनी दरकार के हिसाब से इन्होंने दिया। ये करोड़ों की तादाद से बोल रहे थे इससे हम बहुत इन्फ्लुएंस हो गए है। 2000 करोड़ रुपये मांगे जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं और 85 करोड़ रुपये रिलीज किए जा रहे है। यह क्या है? मेरे कहने का अर्थ है कि आप इस चीज पर विचार करें। मैं मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करुंगा कि वे विचार करें कि जितनी उन्होंने सहायता दी वह काफी है कि नहीं?

सभापति: हो गया।

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, कभी कोई सहायता काफी नहीं हो सकती। जो साधन उपलब्ध होते हैं उनके हिसाब से उनको अधिकतम सहायता देने की कोशिश होती है और जो राज्य सरकार की तरफ से मांगा जाता है या मेमोरेंडम दिया जाता है वह सिर्फ रिलीफ की मद में नहीं होता है दूसरे मद में भी होता है। प्लान मद से भी उनको सहायता मिलती है। जैसे रुरल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम चलते हैं, इस मद से भी उनको सहायता दी जाती है। फिर कुछ अपने प्लान होते हैं उनको भी उसी हिसाब से प्रायर्टी देते हैं।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति जी, राजस्थान की अकाल की विभीषिका के बारे में हम

सब चिंतित हैं, यह स्पष्ट है। हमारे सामने दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न केन्द्रीय सरकार की सहायता और दूसरा प्रश्न है राज्य सरकार की गतिविधि। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान से इस समय लाखों पशु पलायन कर चुके हैं। तीसरा साल अकाल का है और वहां इस समय की जो परिस्थिति है, गुजरात के भूकस्प के कारण राजस्थान में अकाल की विभीषिका की चर्चा सदन में बहुत जोर से करनी पड़ेगी क्योंकि अब वहां गर्मी पड़नी शुरु हो गई है इसलिए वास्तविक विभीषिका का अवसर अब आ रहा है और इसमें कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस अकाल के कारण वहां के दो करोड़ लोग किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करेंगे यह एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न सदन और राज्य सरकार के सामने है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री महोदय कई बार यह घोषणा कर चुके हैं कि अकाल राहत के काम में मदद करने के लिए उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी घोषणा वह कई बार कर चुके हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार और केंन्द्र सरकार राजस्थान के दो करोड़ निवासियों को किस बूते पर और किसके सहारे छोड़ेंगी, यह एक बड़ा भारी चिंता का विषय हम सब के सामने है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अब तक जो कुछ भी किया होगा उसकी चर्चा अब कभी दूसरा कोई ऐसा अवसर आएगा तब हो सकती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार इस समय असहाय है, असफल है और उसके पास साधन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है और वह इस काम से निपटने के लिए व्यवस्थित स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र में किसी प्रकार से उनको अपने सीमित साधनों से जो मदद दी है वह मदद वहां पर ऊंट के मुंह में जीरा जैसा काम है। जैसा अभी गोयनका जी ने कहा कि कितनी आवश्यकता थी और कितना दिया गया... (**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: सवाल में भाषण नहीं होता। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: सवाल आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए। यह राजस्थान का सवाल है आप चिंता मत करिए। मैं जानता हूं अपना सवाल और वह मैं पूछ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... सभापति सहोदय, यह बीच में बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। कहां से बीच में आ गए? ...(**व्यवधान**)... जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में क्यों बोलते हैं ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, विषय की गंभीरता ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, this question has been going on since 11 o'clock. There are other important questions also. There is question on Gujarat also. *(Interruptions)*

श्रीमति अम्बिका सोनी: इसमें राजनीति लाने की कोशिश मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवालः मैं राजनीति बिल्कुल नहीं ला रहा हूं। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी बार-बार यह कह चुके हैं कि वह असहाय हैं, उनके पास साधन नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनका खजाना खाली है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसुः सवाल क्या है?

श्री सभापतिः आप सवाल कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवालः मैं सवाल ही कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, मेरा सवाल सीधा है कि आपने 85 करोड़ रुपया नेशनल केलामिटी रिलीफ फंड से ...(**व्यवधान**)... यह बात साफ है कि केन्द्रीय सरकार ने ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदया, मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर राज्य सरकार असफल है, राज्य सरकार असहाय है, राज्य सरकार अगर ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he is still going on. *(Interruptions)* It would be better to have a discussion on it. *(Interruptions)*

श्री सभापतिः देखिए आप के सवाल को दस मिनट हो गए। आप सवाल कीजिए। आप विवरण दे रहे हैं।

श्री रामदास अग्रवालः मेरा सवाल है कि आपने 85 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार की तरफ से दिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके अलावा भी आप और सहायता जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को देने को तैयार हैं, मेरा प्रश्न है?

श्रीमती जमुना देवी बारुपालः वहां पर उचित सहायता केन्द्र सरकार से नहीं दी गई। यहां पर वहां के मुख्य मंत्री और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। वहां पर केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए में से केवल 85 करोड़ रुपए दिए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: मैने नहीं कहा है। आपके मुख्य मंत्री बोलते हैं कि खजाना खाली है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जमुना देवी बारुपालः वहां के लिए 500 करोड़ रुपए सेंक्शन किए और दिए गए केवल 85 करोड़ रुपए और ...(**व्यवधान**)...

श्री सभीपतिः आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री नीतीश कुमारः सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान की स्थिति ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जमुना देवी बारुपालः आपको सोचना पड़ेगा राजस्थान के बारे में।

श्री रामदास अग्रवालः किसानों पर गोलियां चल रही हैं राजस्थान में, क्या आपको बताया नहीं गया? आपके इस बात का पता नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री सभापतिः देखिये, अब आप बैठिये ।

श्री नीतीश कुमारः सभापति महोदय, राजस्थान की स्थिति गम्भीर है और राजस्थान सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं सिर्फ उनसे या उनकी जो केलेमिटी रिलीफ फंड में राशि है उससे वहां पर आज जो स्थिति है, निपटना सम्भव नहीं है। इसलिए नेशनल केलेमिटी कंटेनजेंसी फंड से उनको अभी तत्काल नकद सहायता दी गई जिसका मैने उल्लेख किया। जो एक लाख टन अनाज दिया गया है (**व्यवधान**)

श्रीमति जमुना देवी बारुपालः कितना दिया है आपने?

श्री रामदास अग्रवालः 80 करोड़।

श्री सभापति : उनको जवाब देने दीजिये।

श्रीमती जमुना देवी बारुपालः हमारी जनसंख्या के आधार पर आप उसको पूरा करिये।

श्री नीतीश कुमार : इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है । नकद 85 करोड़ की सहायता दी गई । इसके अलावा एक लाख मीट्रिक टन अनाज जो मुफ्त में दिया गया है उसकी भी कीमत 80 करोड़ से ज्यादा होगी । इस तरह से जो सहायता उनको दी जा रही है (व्यवधान) राजस्थान सरकार ने कदम उठाए है ।

श्री सुरेश ए. केसवानीः आप तो कह रहे हैं बारिश का इंतजार करेंगे।

श्री नीतीश कुमारः केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार के साथ निरंतर सम्पर्क में है। जहां से जो कुछ भी सलाह देनी है, दी जा रही है और वहां के लोगों की जो जरुरत है उसको एप्रिशियेट करते हुए जो भी आवश्यकता है, जो भी सहायता मांगी जाती है, वह दी जा रही है। फूड फार वर्क कार्यक्रम चलाने के लिए अनाज मुफ्त दिया जाना चाहिये, पिछले वर्ष बी.पी.एल. रेट पर अनाज दिया गया था। इसलिए सरकार ने एक नया फैसला किया फूड फार वर्क कार्यक्रम चलाने के लिए अनाज मुफ्त दिया जाएगा। एक लाख मीट्रिक टन अनाज मुफत दिया गया है। राजस्थान सरकार ने इंफ्लायमेंट जेनरेशन के कार्यक्रम थ्रू रिलीफ वर्क, कैटल कंजरवेशन के लिए फॉडर डिपो वगैरह खोले गये हैं जिसमें सब्सिडाइज्ड कैटल फीड दिये जाने की बात राजस्थान सरकार ने सूचित की है। फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात है। भारत सरकार का यह भी निर्णय है जिसका लाभ पिछली बार उठाया गया, यह भी उपलब्ध है रेलवेज़ मुफ्त में अनाज और चारा

ढोएगा, यह सारी सहायता उनको दी जा रही है। केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ निरंतर सम्पर्क में है। इसके लिए एक ग्रुप आफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित है जो रेगुलर मीटिंग कर रहा है। वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो जरुरी निर्णय हैं, वह लिये जा रहे हैं। इसलिए सरकार पूरे तौर पर कन्संर्ड है। (**व्यवधान**)

श्री सभापतिः जवाब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमारः मैंने पहले भी कहा है 85 करोड़ रुपया दिया गया है।

Social security for workers of Informal Sector

*22. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "ILO insists on social security for informal sector workers" that appeared in the 'The Hindu' dated the 21st June, 2000; if so. Government's views in this regard;

(b) what is the percentage of such workers in the country;

(c) whether any measures have been taken for welfare of such workers; and

(d) if so. the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN J ATI Y A): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Government is aware of the said news-item. As per the 1997 estimates of NSSO there were about 353.7 million workers, out of which around 90% workers belong to the unorganised sector.

A number of welfare measures have been taken by the Government through provisions stipulated in various statutes like Workmen's Compensation Act, 1923, Maternity Benefit Act, 1961, Payment of Gratuity Act, 1972 and Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. In addition, group insurance schemes have also been introduced for certain categories of workers.